

पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के अन्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु आवेदन प्रारूप-1

आवेदक का विवरण		सत्यापनकर्ता अधिकारीका नाम/पद नाम/उसकी रिपोर्ट/हस्ताक्षर दिनांक सहित
आवेदक कृषक का नाम		स्थानीय लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी
पिता/पति का नाम		
क्या आवेदक मुसहर/वनटगिया/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का है ? (हां/नहीं)		
यदि हां तो श्रेणी (मुसहर/वनटगिया/अनुसूचित जनजाति)		
ग्राम		
विकास खण्ड		
जनपद		
मोबाईल नं0		
पूर्व से स्थापित पम्प की क्षमता (कि.वा/एचपी)		स्थानीय विद्युत वितरण डिवीजन का अवर अभियन्ता
विद्युत वितरण डिवीजन का नाम		
विद्युत कनेक्शन संख्या		
मीटर्ड/अनमीटर्ड		
निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु आवेदक की सहमति(हां/नहीं)		
सोलर संयंत्र लगाने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध कराने के लिए आवेदक की सहमति (हां/नहीं)		
यदि आवेदक मुसहर/वनटगिया/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का नहीं है, तो उस दशा में क्या आवेदक 10 प्रतिशत का आर्थिक अंशदान देने के लिए सहमत है? (हां/नहीं)		

लाभार्थी का नाम:

हस्ताक्षर: